16.10.20 — पत्रावली पेश हुई [illegible] कारण प्राप्त न्यायिक कार्य [illegible] रखने से पत्रावली दि. [illegible] को पेश हो।

17.11.20 — उभय पक्ष [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। [illegible] / पक्षरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 12.1.21 को पेश हो। [illegible]

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी मांडल

12.1.21 — उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पक्षरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29.1.21 को पेश हो।

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29.1.21 — पत्रावली पेश हुई, वकील वादियां एवं पैरोकार सरकार उपस्थित, पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया जिसे शा.पत्र किया गया। उभय पक्षो ने बहस करनी चाही। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली नियत दिनांक 19.2.21 को पेश हो।

19.2.21 — पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थिया ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की दरख्वास्त की। जब कि पैरोकार सरकार ने अपने जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की दरख्वास्त की।
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, तहसीलदार माण्डल के द्वारा प्रस्तुत [illegible] एवं जवाब का अध्ययन किया। विवादित [illegible] राजियात ग्राम खोड़ुसी खेड़ा पटवार [illegible] तहसील-माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित हाकम राधापत्नी ज[illegible]लाल जाट संयुक्त सहखातेदार हक से दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2073-2076 से होती है

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.07.08 16:47:28 IST
Reason: SelfAttested

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत दस्तावेजो एंव प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थिया अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे राधा पत्नी जमनालाल के बजाय अलोल पत्नी जमनालाल जाट अंकित करवाना चाहती है। अत: पत्रावार हल्का पटवारी द्वारा एंव पैरोकार सरकार के जवाब के अनुसार जमनालाल पिता मगना जाट फौत के बजाय रामप्रसाद, राजू पिता जमनालाल. राधा पत्नी जमनालाल जाट ई.न. 4033 से हुआ है। राधा पत्नी जमनालाल की प्रथम पत्नी का नाम है। इसकी मत्यु पश्चात दूसरी शादी श्रीमती अलोल से की है। विरासत मे अलोल का नाम दर्ज नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने मे असफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित समझती हुं, अत:

:: आदेश ::

प्रार्थिया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे असफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है. पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.07.08 16:47:28 IST
Reason: SelfAttested